न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **85/2023** अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राधाकुमारी पुत्री तगाराम 2. लीलाकुमार पुत्री तगाराम जाति भील, निवासी तेना तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर हाल निवासी नया नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. वीरमाराम पुत्र मानाराम 2. अशोक कुमार पुत्र वीरमाराम 3. दीपाराम पुत्र वीरमाराम 4. मुलाराम पुत्र वीरमाराम 5. राजुराम पुत्र वीरमाराम जाति भील, निवासी नया नागड़दा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– वादीनीगण अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.07.2025

वादीनीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीनीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा नया नागड़दा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 333/45 रकबा 8.2555 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर वादीनीगण का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादीनीगण की अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाई हुई है। वादीनीगण की उक्त आराजी के सेढा सेढ ही लगायत प्रतिवादी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 334/45 आया हुआ है। उक्त सेढा पड़ौसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 व उनके पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा वादीनीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। वादीनीगण के शांतिप्रिय एवं महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, वादीनीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण कर अपना कब्जा पुख्ता करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीनीगण की खातेदारी भूमि पर रहवासी ढाणियां बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे नेखमबंदी मौका फर्द मे बिन्दु संख्या एच, आई और जे से दर्शाया गया है। नेखमबंदी के दौरान वादीनीगण की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाये जाने पर उन्हे कब्जा हटाने हेतु कहा गया तब प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा हटाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीनीगण की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी की वादीनीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। अतः वादीनीगण द्वारा उक्त वाद प्रतिवादीगण द्वारा वादीनीगण की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हे बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादीनीगण को दिलवाने तथा वादीनीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में दिनांक 10.05.2023 को की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 333/45 के सभी कोनों पर निशानात् लगाये गये, जिसके बिन्दु संख्या [illegible] पर पड़ोसी खसरा नम्बर 334/45 के खातेदार वीरमाराम पुत्र मानाराम जाति भील के पुत्रों [illegible] रहवासी ढाणियां बनी हुई है, जिसे सलंग्न नक्शा में बरंग 'पीला' दर्शाया गया है तथा कब्जा की [illegible] है। वादीनी संख्या 1 द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप अपना बयान शपथ पत्र [illegible] किया गया।

वादीनीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीनीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादीनीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाया जाकर जब्त करते हुए कब्जा वादीनीगण को दिलवाने तथा वादीनीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

हमने वादीनीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीनीगण विवादित आराजी की रेकर्डेड खातेदार है। वादीनीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये विधि विरूद्ध अतिक्रमण को हटाकर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीनीगण को दिलवाने का निवेदन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व में दिनांक 10.05.2023 को की गई नेखमबंदी की मौका फर्द व संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 333/45 के सभी कोनों पर निशानात् लगाये गये, जिसके बिन्दु संख्या H, I व J पर पड़ौसी खसरा नम्बर 334/45 के खातेदार वीरमाराम पुत्र मानाराम जाति भील के पुत्रों की रहवासी ढाणियां बनी हुई है, जिसे सलंग्न नक्शा में बरंग 'पीला' दर्शाया गया है तथा कब्जा को लेकर विवाद है, जिसे कब्जा पाया जाना साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुस्थित रहे है। वादीनीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादीनीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण किया हुआ साबित होने पर वादीनीगण अपनी खातेदारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीनीगण की खातेदारी भूमि मौजा नया नागड़दा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 433/45 रकबा 8.2555 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश हेतु राजस्व टीम का गठन कर पैमाईश करने हेतु तहसीलदार शिव को निर्देशित किया जाता है, साथ ही विवादित आराजी में प्रतिवादीगण का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादीनीगण को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जावें। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.10.27 13:18:05 IST
Reason: SelfAttested